

1084/1-18/2008

26/08

Deputy

सरखाड़ा-१३३२ / 26-2-08-100(8) / 2008

प्रेषक,

जे०एन०वैन्दवर,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

संवाद में

1. मण्डलायुधत,
मेरठ, कैजाबाद, गोरखपुर एवं लखनऊ मण्डल।

26. ८. ०८ (मिस्ट्री) ५० जिलाधिकारी,

गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर
सीतापुर एवं रायबरेली।

समाज कल्याण अनुभाग-२

लखनऊ/दिनांक

24 जुलाई, 2008

26/8/08 विषय:- नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान के अन्तर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट के रूप में प्रदेश के 06 जनपदों गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद, सुल्तानपुर, गोरखपुर, सीतापुर एवं रायबरेली में ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना हेतु वृद्धावस्था पेशन योजनानारागण प्राफिया का निर्धारण।

(विनोद चहलोजा)
वार्ष. स. स. ए.

3579

3892

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए मुझे यह कहने का

3572 निदेश हुआ है कि जनसामान्य को किफायती, पारदर्शी एवं संहज सुलभ रूप से संवादें प्र० और क्षेत्रपलब्ध कराने के लिए ई-डिस्ट्रिक्ट को परिकल्पना का गई है जिसमें सूचना एवं

संचार प्रौद्योगिकी के उपयोग से जिला प्रशासन द्वारा अधिकारी सेवायें प्रदान की जायेगी। यह परियोजना राज्य के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है। वर्तमान यह जिला

26/8/08 प्रशासन की कार्यपद्धति को इलेक्ट्रॉनिक कार्यपद्धति के रूप में विकासित करने में सहायता होगी।

4 नं। कामरूप 2- उत्तर प्रदेश शासन द्वारा ई-डिस्ट्रिक्ट परियोजना को लागू करने हेतु उपर्युक्त

१

भी

(2384)

06 जिलों को पायलट जिलों के रूप में चयन किया गया है जिसके अन्तर्गत समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित वृद्धावस्था पेशन योजना को भी सम्मालित किया गया है।

3- वृद्धावस्था पेशन योजना के अन्तर्गत ऐसे वृद्धजन जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक हैं तथा बी०पी०एल० की श्रेणी में आते हैं, उन्हें रुपये 300/- प्रतिमाह पेशन दिये जाने की व्यवस्था है।

-2-

1/51/08

4- इस शासनादेश के माध्यम से वृद्धावस्था पेशन के आवेदन पत्रों को स्वीकार किये जाने हेतु ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जायेगी :-

ग्रामीण क्षेत्र आवेदन

1. सर्व प्रथम आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) में जाकर वृद्धावस्था पेशन हेतु निर्धारित आवेदन पत्र भरेगा। उसमें अपनी आयु, परिवार का विवरण एवं अपना बी०षी०एल० कमाक अकित करेगा।
2. सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) का आपरेटर आवेदक के भरे हुए आवेदन पत्र को ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में प्रस्तुत करेगा। तत्पश्चात् रसीद देगा।
3. खण्ड विकास अधिकारी ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में लाग-इन करेगा तथा आवेदन पत्र को आन-लाइन ग्राम पंचायत विकास अधिकारी को जाच हेतु निर्देशित करेगा। इस हेतु विकासखण्ड में कम्प्यूटर लैंब प्रस्तावित है।
4. ग्राम पंचायत विकास अधिकारी आवेदन पत्रों को पंचायत की खुली बैठक में रखेगा तथा पंचायत के प्रस्ताव के साथ ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन में अपलोड करेगा।
5. खण्ड विकास अधिकारी सकलित रूप में सभी ग्राम पंचायत विकास अधिकारियों से आन-लाइन प्राप्त वृद्धावस्था पेशन के आवेदन पत्रों को जाचोपरान्त जिला समाज कल्याण अधिकारी को ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन से आन लाइन करेगा।
6. जिला समाज कल्याण अधिकारी लाभार्थीयों को ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन पर अद्यावधिक करेगा तथा पेशन के वितरण की प्रक्रिया का आरम्भ करेगा।

नगर क्षेत्र आवेदन

1. आवेदक सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) के माध्यम से ई-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन द्वारा आन-लाइन आवेदन पत्र उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को

प्रेषित करेगा, जिसमें उसकी आयु, परिवार का विवरण एवं उसका बी०पी०एल० कमाक भी लिखा होगा। सामान्य सेवा केन्द्र (सी०एस०सी०) का ऑपरेटर आवेदक को रसीद देगा।

2. उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट इ-डिस्ट्रिक्ट अप्लीकेशन को लाग-इन करेगा तथा वृद्धावस्था पेशन के आवेदन पत्रों को तहसीलदार को जाच हेतु आन-लाइन प्रेषित करेगा।
3. तहसीलदार कानूनगो/लेखपाल को आवेदन पत्र जाच हेतु आन-लाइन नामित करेगा। इस हेतु तहसील स्तर पर कम्प्यूटर लैब प्रस्तावित है।
4. कानूनगो/लेखपाल द्वारा जाच कर आन-लाइन उक्त आवेदन पत्रों को तहसीलदार को भेजेगा।
5. तहसीलदार उक्त आवेदन पत्रों को दैनिक आधारे पर अपनी आख्या सहित आन-लाइन उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट को भेजेगा।
6. उपजिलाधिकारी/सिटी मजिस्ट्रेट आवेदन पत्रों के परोक्षण के पश्चात अपनी स्वीकृति अंकित करते हुए आन-लाइन उन्हें जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजेगा।
7. जिला समाज कल्याण अधिकारी पेशनरों की सूची का इ-डिस्ट्रिक्ट प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रष्ठते:-

भवदीय,

क्रमांक - ५२८

(जे०एन० चैम्बर)

प्रमुख सचिव।

संख्या-१५८२ (१)/२०-२-२००८ लददिगांव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाये एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रष्ठते:-

1. अध्यक्ष राजस्व परिषद, उ०प्र० लखनऊ।
2. निदेशक, समाज कल्याण उ०प्र० लखनऊ।
3. संविधित गण्डलीय उपनिदेशक, सगाज कल्याण, उ० प्र०।
4. संबंधित जिला समाज कल्याण अधिकारी, उ०प्र०।
5. आई०टी० एवं इलेक्ट्रॉनिक अनुसार २
6. समाज कल्याण अनुसार-१/३/कानूनोप्रकाश/बैज्ञ. प्रकाश।

आज्ञा सं.

(ब्रह्मनन्द)

रायुपरा सचिव।